

राजस्थान सरकार



## रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र

क्रमांक 500 जयपुर/2008-09

यह प्रमाणित किया जाता है कि भारती शिक्षा विकास  
समिति ग्राम चानोता जिला जयपुर  
राजस्थान संस्था रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1958 (राजस्थान अधिनियम  
संख्या 28, 1958) के अन्तर्गत रजिस्ट्रीकरण आज किया गया।

यह प्रमाण-पत्र मेरे हस्ताक्षरों और कार्यालय की सील से आज  
दिनांक 08 माह सितम्बर सन दो हजार 2008  
को जयपुर में किया गया।



सुनील कुमार  
रजिस्ट्रार संस्थाएं  
जयपुर

मुद्रक : राजस्थान राज्य सहकारी मुद्रणालय लिमिटेड, जयपुर-1 2374969 2751352  
2751417

राजस्थान संस्थाएं रजिस्ट्रीकरण  
अधिनियम 1958 के अन्तर्गत  
रजिस्ट्रेशन हेतु

# आवेदन प्रपत्र



:: मुद्रक एवं विक्रेता ::

राज. राज्य सहकारी मुद्रणालय लिमिटेड

जी-1/138, मालवीय इण्ड. ऐरिया, जयपुर। फोन: 2751352, 2751417

प्राप्ति स्थल :

राज. राज्य सहकारी मुद्रणालय लि.

पोलोविकट्टी के पास, जयपुर-1 फोन: 2374969

## शपथ-पत्र का प्रपत्र

हम निम्न हस्ताक्षरकर्ता अधिकृत पदाधिकारी प्रस्तावित संस्था भारतीय शिक्षा विकास समिति  
धानोला रोड काटपुरा जयपुर के सशपथ पूर्वक घोषणा करते हैं कि :-

1. हमारी प्रस्तावित संस्था भारतीय शिक्षा विकास समिति  
के पंजीयन हेतु कुल 16 आवेदक सदस्य हैं।
2. हमारी प्रस्तावित संस्था के नाम पते पर पूर्व में इस क्षेत्र में कोई संस्था पंजीकृत नहीं है। आवेदक सदस्य अन्य किसी समान उद्देश्य वाली संस्था/समिति के सदस्य/पदाधिकारी नहीं हैं।
3. प्रस्तावित संस्था की विधान नियमावली की बिन्दु सं. 2 व 3 के अन्तर्गत अपने कार्यक्षेत्र में निहित उद्देश्यों की पूर्ति हेतु गठित की गई है।
4. धारा 3 में वर्णित उद्देश्य संस्था रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1958 की धारा 20 के अन्तर्गत आते हैं, के अनुसार संस्था की कार्यकारिणी एवं पंजीकृत उद्देश्यों की पूर्ति में किसी प्रकार का लाभ निहित नहीं होगा।
5. प्रस्तावित संस्था द्वारा कोई व्यावसायिक गतिविधियां, व्यक्तिगत लाभ अर्जित करने हेतु गठित नहीं की गई और न ही किसी प्रकार का लाभ सदस्यों में वितरण होगा।
6. प्रस्तावित संस्था किसी भी परिस्थिति में व्यावसायिक रूप से कार्य नहीं करेगी तथा न ही इसमें किसी प्रस्तावक सदस्य का निजी व्यक्तिगत लाभ निहित होगा।
7. यदि भविष्य में किसी भी समय इस तथ्य की अवहेलना होना पाया जावेगा तो रजिस्ट्रार संस्थायें  
को पंजीकृत संस्था का पंजीयन रद्द करने का अधिकार होगा।
8. भविष्य में उक्त बिन्दु सं. 1 से 7 में अंकित तथ्यों के विपरीत कार्य करने की जानकारी प्रकाश में आने पर रजिस्ट्रार संस्थायें,  
को इस संस्था का पंजीयन रद्द करने का अधिकार होगा।




अध्यक्ष

उशीक कुमार यादव  
मन्त्री

Mamta Yadav  
कोषाध्यक्ष

## सत्यापन

हम उपरोक्त शपथ ग्रहिता सत्यापित करते हैं कि बिन्दु सं. 1 से 8 के तथ्य हमारी जानकारी से सही हैं, कोई भी तथ्य छिपाया नहीं गया है। उपरोक्त तथ्यों के विपरीत कोई जानकारी प्रकाश में आने पर रजिस्ट्रार संस्थायें  
को पंजीयन रद्द करने का अधिकार होगा। ईश्वर साक्षी है।



अध्यक्ष

उशीक कुमार यादव  
मन्त्री

Mamta Yadav  
कोषाध्यक्ष

नोट :- यह शपथ पत्र रुपये 10/- के स्टाम्प पर होगा तथा नोटरी पब्लिक/राजपत्रित अधिकारी से प्रमाणित कराना होगा।

## विधान/संशोधन से संबंधित निम्न सूचनाएँ प्रस्तुत करें

1. संस्था की कार्यकारिणी द्वारा संस्था के विधान में संशोधन/परिवर्तन अथवा परिवर्धन के विचारार्थ बुलाई गई विशेष साधारण सभा में भाग लेने के लिए सदस्यों को भेजे गये नोटिस की एक प्रति।
2. उक्त बैठक में उपस्थित सदस्यों का विवरण निम्नलिखित प्रारूप में प्रस्तुत करें :-

क्र.सं.	संस्था की कुल सदस्य संख्या	बैठक में उपस्थित सदस्यों की सं.	विधान के अनुसार बैठक का कोरम	कितने सदस्यों ने संशोधन के पक्ष में मत दिया	कितने सदस्यों ने संशोधन के विपक्ष में मत दिया।
---------	----------------------------	---------------------------------	------------------------------	---------------------------------------------	------------------------------------------------

3. संस्था की उक्त बैठक की कार्यवाही व इस बैठक में संशोधन हेतु पारित प्रस्ताव की सत्यप्रतिलिपि।
4. संस्था की उक्त विषयक साधारण सभा के एक माह बाद संस्था की बुलाई गई द्वितीय विशेष साधारण सभा में भाग लेने के लिए सदस्यों को भेजे गये नोटिस की प्रति।
5. बैठक की कार्यवाही की सत्य प्रति।
6. कुल सदस्य संख्या/उपस्थित सदस्यों की संख्या/विधानानुसार उपस्थित सदस्यों में से 2/3 सदस्यों के द्वारा संस्था की प्रथम विशेष साधारण सभा के द्वारा स्वीकृत संशोधन के लिए सम्पुष्टि की प्रमाणित प्रति।
7. संस्था के तीन पदाधिकारियों के द्वारा दिया गया प्रमाण-पत्र  
हम निम्नहस्ताक्षरकर्ता प्रमाणित करते हैं कि संस्था के विधान में परिवर्तन, परिवर्द्धन व संशोधन संस्था रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1958 की धारा 4 व 12 के अनुसार ही किया गया है।
8. तुलनात्मक स्टेटमेन्ट निम्न प्रकार है :-

क्र.सं.	विधान की धारा संख्या	पंजीकृत विधान का नियम	विधान में संशोधित किया गया नियम (नया नियम)
---------	----------------------	-----------------------	--------------------------------------------

9. संस्था के संशोधित विधान की तीन पदाधिकारियों द्वारा प्रमाणित तथा प्रत्येक पृष्ठ पर तीन पदाधिकारियों के हस्ताक्षरयुक्त प्रति, जिसमें समस्त संशोधन यथा स्थान अंकित किये गये हों।
10. नाम परिवर्तन से संबंधित 7 सदस्यों के संयुक्त हस्ताक्षरों से एक आवेदन-पत्र प्रस्तुत करें, साथ ही मूल पंजीयन प्रमाण-पत्र संलग्न करें।

adad

य

Yodal

क्ष

राजस्थान संस्था रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1958 के अन्तर्गत संस्था पंजीकृत कराने हेतु आदर्श

## विधान (नियमावली)

तथा

## संघ-विधान पत्र

कृपया आवेदन करने से पूर्व निम्न बातों का ध्यान रखें :-

1. यह आदर्श विधान (नियमावली) व संघ विधान पत्र केवल मार्गदर्शन के लिए हैं। संस्था के उद्देश्यों व कार्यक्षेत्र के अनुसार इसके अनुरूप परिवर्तन किया जा सकता है, लेकिन ऐसा परिवर्तन अधिनियम, 1958 के अन्तर्गत ही मान्य होगा।
2. प्रबन्धकारिणी में सृजित पद संस्था के अनुरूप घटाये/बढ़ाए जा सकते हैं। पद के नाम भी परिवर्तित किये जा सकते हैं।
3. संस्था के उद्देश्य अधिनियम, 1958 की धारा 20 के अनुरूप ही होना आवश्यक है। सुविधा के लिये क्रमांक 9 पर धारा 20 अंकित है।
4. रिक्त स्थानों की पूर्ति संस्था द्वारा ही की जानी है।
5. प्रत्येक पृष्ठ पर संस्था के तीन-तीन पदाधिकारियों के हस्ताक्षर करवाया जाना आवश्यक है।
6. संघ विधान पत्र में क्रम संख्या 4 में संस्था की प्रबन्धकारिणी का विवरण ही अंकित करना है तथा क्रम संख्या 6 पर उनके व अन्य सदस्यों के नाम/पिता का नाम अंकित कर हस्ताक्षर करवाये जावें। यह भी ध्यान रखें कि कम से कम 7 सदस्यों पर ही संस्था पंजीकृत की जावेगी।
7. संघ विधान पत्र के अन्त में 2 साक्षियों के हस्ताक्षर करावें। साक्षीगण संस्था के सदस्य नहीं होने चाहिये।
8. अनावश्यक को काट कर लघु हस्ताक्षर करें।

### धारा - 20

9. सोसाइटियां जिनका रजिस्ट्रीकरण इस अधिनियम के अधीन किया जा सकेगा :- इस अधिनियम के अधीन निम्नलिखित सोसाइटियों की रजिस्ट्री की जा सकेगी अर्थात् :-

पूर्व प्रयोजनों के लिए स्थापित सोसाइटियां, सैनिक, अनाथ निधियां, <sup>1</sup>(खादी और ग्रामोद्योग), साहित्य, विज्ञान या ललित कलाओं की प्रोन्नति के लिये स्थापित सोसाइटियां, शिक्षण या उपयोगी जानकारी अथवा राजनैतिक शिक्षा के प्रसार के लिये स्थापित सोसाइटियां सदस्यों के साधारण प्रयोग के लिये या जनता के लिये खुले पुस्तकालयों या वाचनालयों के प्रतिष्ठान या अनुरक्षण और रंगचित्रों और अन्य कलाकृतियों के लोक संग्रहालयों और गैलरियों के लिए स्थापित सोसाइटियां, प्राकृतिक इतिहास के संकलनों और यांत्रिक और दार्शनिक आविष्कारों, लिखितों या अभिकल्पनाओं के लिये स्थापित सोसाइटियां।

10. राजस्थान संस्थाएं रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1958 के अन्तर्गत रजिस्ट्रेशन हेतु निर्धारित आवेदन प्रपत्र राज. राज्य सहकारी मुद्रणालय से प्राप्त कर उसमें दिये गये निर्देशों की पूर्ति करते हुये विधान पत्र एवं विधान नियमावली के अनुसार ही प्रस्तुत किये जावें।
11. आवेदन पत्र के साथ अध्यक्ष, मन्त्री एवं कोषाध्यक्ष के राशन कार्ड की फोटो कॉपी/स्थाई निवास संबंधी प्रमाण-पत्र एवं संलग्न निर्धारित प्रारूपानुसार रुपये 5/- के स्टाम्प पर उक्त तीन अधिकृत पदाधिकारियों की ओर से शपथ पत्र के साथ प्रस्तुत किया जावे।

1. राज. राज-पत्र विशेषांक 4 (क) दिनांक 17.5.95 द्वारा अन्तःस्थापित किया गया।

12. आवेदन पत्र अधिकृत पदाधिकारी के द्वारा ही प्रस्तुत किया जावे। अनाधिकृत व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र स्वीकार्य नहीं होगा।
13. आवेदन पत्र का पृष्ठ 7, एवं शपथ पत्र नोटरी पब्लिक अथवा राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित होना चाहिये।
14. ग्राम, मोहल्ला, कॉलोनी, विकास समितियों, नवयुवक मण्डल के पंजीयन हेतु आवेदित प्रार्थना पत्र में कार्य क्षेत्र के 60 प्रतिशत निवासी आवेदक सदस्य होने चाहिये।
15. ग्रामीण क्षेत्र से आवेदित प्रार्थना पत्र क्षेत्रीय नगर पालिका, ग्राम पंचायत अथवा विकास अधिकारी का अनापत्ति प्रमाण-पत्र हो तो उपयुक्त रहेगा।
16. संस्था पंजीयन हेतु आवेदन प्रपत्र व्यक्तिगत रूप से अधिकृत पदाधिकारी द्वारा पंजीयन हेतु पत्रावली (फाईल) के रूप में पत्र प्राप्ति शाखा में प्रस्तुत की जावे।
17. पंजीकृत संस्था के मूल पंजीयन पत्रादि अधिकृत पदाधिकारी/शपथ पत्र पर हस्ताक्षर करने वाले पदाधिकारियों को देय होंगे।
18. शिक्षण संस्था के पंजीयन हेतु प्रबंधकारिणी सदस्यों में से कम से कम तीन व्यक्ति शिक्षण कार्य अनुभव वाले हों तो उपयुक्त रहेगा।
19. अन्य संस्थायें जिनके द्वारा शिक्षण, तकनीकी या अन्य कार्य जिसका की प्रशिक्षण दिया जाना है योग्यता या अनुभव प्रमाण-पत्र संलग्न किया जाना उपयुक्त रहेगा।
20. एक परिवार से एक व्यक्ति को प्रबंधकारिणी में शामिल किया जाना चाहिये। "परिवार" से तात्पर्य ऐसे किसी परिवार से है जिसमें पति और पत्नी, उनके बच्चे और उक्त बच्चों के बच्चे जो उस पर आश्रित हों तथा पति की विधवा माँ जो पूर्ण रूपेण आश्रित हो।
21. संस्था पंजीयन हेतु आवेदन के 7 दिवस के बाद कभी भी कार्यालय दिवस को संस्था शाखा प्रभारी से सम्पर्क कर पंजीयन कार्यवाही की चालू प्रक्रिया के संबंध में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।
22. अधिसूचना क्रमांक प.4 (5) कृषि-4/सह./91 दिनांक 29.1.1998 द्वारा राज्य सरकार तत्काल प्रभाव से संस्थाओं के प्रत्येक रजिस्ट्रेशन के लिये रजिस्ट्रेशन शुल्क 250/- रुपये के स्थान पर 2500/- रुपये निर्धारित करती है।

संघ विधान-पत्र

1. संस्था का नाम : इस संस्था का नाम भारती शिक्षा विकास समिति  
 समिति/सोसाइटी/संस्थान/संस्था है व रहेगा।  
घानात लक्ष्मी (अपु)
2. पंजीकृत कार्यालय: इस संस्था का पंजीकृत कार्यालय राजस्थान राज्य  
 तथा कार्यक्षेत्र जयपुर है  
 तथा इसका कार्यक्षेत्र राजस्थान राज्य के क्षेत्र तक सीमित होगा।
3. संस्था के उद्देश्य : इस संस्था के निम्नलिखित उद्देश्य हैं :-

1. शिक्षण संस्थाओं की स्थापना करना तथा उनके माध्यम से बिना किसी जाति-पाति सम्प्रदाय एवं धार्मिक भेदभाव के आधुनिक औपचारिक, सामान्य, अनौपचारिक, व्यवसायिक, सांस्कृतिक शिक्षण प्रदान करना।
2. शैक्षिक, व्यवसायिक, सांस्कृतिक एवं प्रदर्शनियों मेलों एवं इसी प्रकार के समानान्तर कार्यक्रम आयोजित करना।
3. बालक बालिकाओं के विकास हेतु आमोद प्रमोद के साधन जुटाना एवं उनका प्रबंध करना।
4. किसी क्षेत्र के निवासियों के अनुरोध पर या संस्था द्वारा आवश्यकता अनुभव करने पर शिक्षण संस्थाओं का प्रबंध करना एवं संचालन करना।
5. अनौपचारिक एवं सौंद शिक्षा प्रदान करना, साक्षरता का प्रसार करना एवं ऐसे केंद्रों का प्रबंध एवं संचालन करना।
6. महिला शिक्षा एवं बालिकाओं की शिक्षा का प्रचार एवं प्रसार करना तथा महिलाओं की स्वावलम्बी बनाने हेतु घरेलू एवं व्यावसायिक शिल्प एवं औद्योगिक कार्यों का प्रशिक्षण प्रदान करना।
7. शैक्षिक, सहशैक्षिक, वैदिक, साहित्यिक एवं सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन करना।
8. संगीत, नृत्य, चित्रकारी, मूर्तिकारी इत्यादि ललित कलाओं के शिक्षण की व्यवस्था करना।
9. शिक्षा एवं ज्ञान के प्रसार की दृष्टि से पुस्तकालयों एवं वाचनालयों एवं अन्य संस्थाओं की स्थापना करना एवं उनका संचालन करना।
10. इसके अतिरिक्त उपरोक्त उद्देश्यों की पूर्ति हेतु आवश्यकतानुसार कार्य करना।

12.

13.

14.

15.

उपरोक्त उद्देश्यों की पूर्ति में कोई लाभ निहित नहीं है।


अध्यक्ष


उप-अध्यक्ष  
मन्त्री

कोषाध्यक्ष

4. संस्थान का कार्यभार संस्था के नियमानुसार एक कार्यकारिणी समिति को सौंपा गया है, जिसके प्रथम वर्तमान पदाधिकारी निम्नलिखित हैं :-

क्र.सं.	नाम व पिता का नाम	व्यवसाय	पूर्ण पता	पद
1.	श्री मुरलीधर यादव पुत्र श्री बाबू राम यादव	निजी सेवा	मु. पो. रावपुरा, वाया इटावा भोपजी, जिला जयपुर।	अध्यक्ष
2.	श्री मालीराम यादव पुत्र श्री घीसा लाल यादव	निजी सेवा	मु. पो. रावपुरा, वाया इटावा भोपजी, जिला जयपुर।	उपाध्यक्ष
3.	श्री अशोक यादव पुत्र श्री मुरलीधर यादव	उपस्थपनरत	मु. पो. रावपुरा, वाया इटावा भोपजी, जिला जयपुर।	सचिव
4.	श्रीमती ममता पत्नी श्री बाबूलाल यादव	अध्यापन	भवानी नगर, रीकर रोड, जयपुर	कोषाध्यक्ष
5.	श्री रजुगल चन्द जाट पुत्र श्री हनुमान सहाय	कृषि कार्य	मु. पो. रावपुरा, वाया इटावा भोपजी, जिला जयपुर।	सदस्य
6.	श्री जगदीश सिंह पुत्र श्री चन्द्र सिंह	कृषि कार्य	मु. पो. रावपुरा, वाया इटावा भोपजी, जिला जयपुर।	सदस्य
7.	श्रीमती मन्जू यादव पत्नी श्री बनवारी लाल यादव	अध्यापन	मु. पो. लोहरवाडा, तह. चौम, जयपुर।	सदस्य
8.	श्रीमती ममता पत्नी श्री मन्खन लाल यादव	अध्यापन	मु. पो. रावपुरा, वाया इटावा भोपजी, जिला जयपुर।	सदस्य
9.	श्री गोपी राम पुत्र श्री बाबूराम यादव	समाजसेवी	मु. पो. रावपुरा, वाया इटावा, भोपजी, जिला जयपुर।	सदस्य
10.	रामदेव रैंगर पुत्र श्री आशा राम रैंगर	निजी सेवा	मु. पो. धानोता, तह. चौम, जयपुर।	सदस्य
11.	श्री सरोज पुत्री श्री रामस्वरूप	अध्यापन	मु. पो. रावपुरा, वाया इटावा भोपजी, जिला जयपुर।	सदस्य
12.	श्री कज्जूलाल शर्मा पुत्र श्री मुंगी लाल शर्मा	सेवा निवृत्त	मु. पो. धानोता, तह. चौम, जयपुर।	अभिभावक सल्लिनिधि
13.	श्री गोपीराम कुमावत पुत्र श्री चुन्नीलाल	राज्य सेवा	सेवा श्री बाणी, रावपुरा, तह. शाहपुरा जयपुर।	साहायक सल्लिनिधि
14.	कालेज शिक्षा अधिकारी जयपुर राजस्थान	राज्य सेवा	शिक्षा संकुल, जे. स्त. प्त. मार्ग, जयपुर।	शिक्षा विभा. सल्लिनिधि
15.	श्री महेंद्र यादव पुत्र श्री गोपाल लाल यादव	अध्यापन कार्य	रौनी का बाग, रीकर रोड जयपुर	शाखा सल्लिनिधि
16.	श्री सुभान खां पुत्र श्री दीनू खां	निजी सेवा	मु. पो. धानोता, तह. चौम, जयपुर	सदस्य

  
अध्यक्ष

  
अध्यक्ष  
मन्त्री

Manoj Yadav  
कोषाध्यक्ष

5. हम निम्न हस्ताक्षरकर्ता, जिनके नाम, व्यवसाय व पूर्ण पते निम्न प्रकार हैं, इस संघ विधान पत्र के अन्तर्गत इस संस्था के रूप में गठित होने व इसे रजिस्ट्रीकृत करवाने के इच्छुक हैं :-

क्र.सं.	नाम व पिता का नाम	व्यवसाय	पूर्ण पता	हस्ताक्षर
1.	श्री मुरलीधर यादव पुत्र श्री बालूराम यादव	निजी सेवा	मु.पो. रावपुरा, वाया ईटावा भोपजी, जयपुर।	
2.	श्री माली राम यादव पुत्र श्री घीसा लाल यादव	निजी सेवा	मु.पो. रावपुरा, वाया ईटावा भोपजी, जयपुर।	माली राम यादव
3.	श्री अशोक यादव पुत्र श्री मुरलीधर यादव	अध्ययनरत	मु.पो. रावपुरा, वाया ईटावा भोपजी, जयपुर।	अशोक यादव
4.	श्रीमती ममता पत्नी श्री बाबूलाल यादव	अध्यापन	ध्रुवानी नगर, स्त्रीकर रोड, जयपुर।	Mamta Yadav
5.	श्री सुगल चन्द जाट पुत्र श्री हनुमान सहाय	कृषि कार्य	मु.पो. रावपुरा, वाया ईटावा भोपजी, जयपुर।	सुगल
6.	श्री जगदीश सिंह पुत्र श्री हनुमान सहाय	कृषि कार्य	मु.पो. रावपुरा, वाया ईटावा भोपजी, जयपुर।	जगदीश
7.	श्रीमती मंजू यादव पत्नी श्री बनवारी लाल यादव	अध्यापन	मु.पो. लोहरवाडा, तह. चौम, जयपुर।	Manju Yadav
8.	श्रीमती ममता पत्नी श्री मन्खन लाल	अध्यापन	मु.पो. रावपुरा, वाया ईटावा भोपजी, जयपुर।	ममता यादव
9.	श्री गोपीराम पुत्र श्री बालूराम यादव	समाजसेवी	मु.पो. रावपुरा, वाया ईटावा भोपजी, जयपुर।	गोपीराम
10.	श्री रामदेव रेगर पुत्र श्री आशा राम रेगर	निजी सेवा	मु.पो. धानोता, तह. चौम, जयपुर।	रामदेव
11.	शुश्री शरीज पुत्री श्री रामस्वरूप	अध्यापन	मु.पो. रावपुरा, वाया ईटावा भोपजी, जयपुर।	
12.	अभिभावक प्रतिनिधि श्री कज्जूलाल शर्मा पुत्र श्री मुंगी लाल शर्मा	सेवा निवृत्त	मु.पो. धानोता तह. चौम जयपुर।	
13.	अध्यापक प्रतिनिधि श्री गोपीराम चौजारा पुत्र श्री चुन्नी लाल	राज्य सेवा	सेवा श्री टाणी रावपुरा तह. शाहपुरा जयपुर।	
14.	शिक्षा विभाग प्रतिनिधि श्री कालिज शिक्षा अधिकारी जयपुर राजस्थान	राज्य सेवा	शिक्षा संकुल जे.एल. एन. मार्ग जयपुर।	
15.	छात्र प्रतिनिधि श्री महेंद्र यादव पुत्र श्री गोपाल लाल यादव	अध्यापन	सौनी का बाग, स्त्रीकर रोड, जयपुर।	महेंद्र
16.	श्री सुभान राव पुत्र श्री गोपाल लाल यादव	निजी सेवा	सौनी का बाग, स्त्रीकर रोड, जयपुर।	सुभान
17.				
18.				

अध्यक्ष


अशोक यादव  
मन्त्री

Mamta Yadav  
कोषाध्यक्ष

स्था के

क्र.सं.	नाम व पिता का नाम	व्यवसाय	पूर्ण पता	हस्ताक्षर
---------	-------------------	---------	-----------	-----------

- |     |                                                |            |                                               |  |
|-----|------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------|--|
| 19. | श्री श्री राम भीजा पुत्र<br>श्री गणपत लाल भीजा | राज्य सेवा | ख-46 भवानी नगर, गोपी राम<br>नीकर रोड, जयपुर   |  |
| 20. | श्री बाबूलाल यादव पुत्र<br>श्री मुरलीधर यादव   | निजी सेवा  | ख-78 भवानी नगर,<br>नीकर रोड, जयपुर।           |  |
| 21. | श्री कानाराम पुत्र श्री<br>मून्दा राम          | समाज सेवा  | गाँव कुण्डल गढ़ तह धोड़<br>जिला (सीकर)        |  |
| 22. | श्री सीताराम अहीर पुत्र<br>श्री राम चंड        | निजी सेवा  | ग्राम अहीर कावास तह<br>डीडवाना - जिला (नागौर) |  |
| 23. |                                                |            |                                               |  |
| 24. |                                                |            |                                               |  |
| 25. |                                                |            |                                               |  |
| 26. |                                                |            |                                               |  |
| 27. |                                                |            |                                               |  |
| 28. |                                                |            |                                               |  |
| 29. |                                                |            |                                               |  |
| 30. |                                                |            |                                               |  |
| 31. |                                                |            |                                               |  |
| 32. |                                                |            |                                               |  |



1. संस्था का पंजिका क्रमांक	500
2. संस्था का नाम	भारतीय शिक्षा विकास समिति
3. विषय	शैक्षिक
4. राशि	16
5. दिनांक	8-9-08
6. हस्ताक्षर	

हम निम्न हस्ताक्षरकर्ता प्रमाणित करते हैं कि उपर्युक्त हस्ताक्षरकर्ताओं को हम जानते हैं व उन्होंने हमारे समक्ष अपने अपने हस्ताक्षर किये हैं। हम यह भी घोषित करते हैं कि हम संस्था के सदस्य नहीं हैं।

1.   
हस्ताक्षर

(नाम/व्यवसाय/पूर्ण पता)

श्री श्री राम भीजा पुत्र  
शैक्षिक प्रकोष्ठ अधिकारी  
कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी, जयपुर

अध्यक्ष

2.   
पाठ्याध्यक्ष

(नाम/व्यवसाय/पूर्ण पता)  
भवानी नगर (जयपुर) रा.स.

श्री श्री यादव  
मन्त्री

Attested

Mamta Yadav  
कोषाध्यक्ष

सहायक अभियन्ता

## विधान (नियमावली)


1. संस्था का नाम : इस संस्था का नाम भारती शिक्षा विकास समिति  
समिति/सोसाइटी/संस्थान/संस्था है व रहेगा।

2. पंजीकृत कार्यालय: इस संस्था का पंजीकृत कार्यालय राजस्थान राज्य जयपुर  
तथा कार्यक्षेत्र राजस्थान राज्य के क्षेत्र तक सीमित होगा।


3. संस्था के उद्देश्य : इस संस्था के निम्नलिखित उद्देश्य हैं :-

1. शिक्षण संस्थाओं की स्थापना करना तथा उनके माध्यम से बिना किसी जाति पाति सम्प्रदाय एवं धार्मिक भेदभाव के आधुनिक औपचारिक, सामान्य, अनौपचारिक, व्यवसायिक, शैक्षिक, सांस्कृतिक, साहित्यिक, वैज्ञानिक, शैक्षिक, सहशैक्षिक, बौद्धिक, साहित्यिक एवं सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन करना।
2. शैक्षिक, सहशैक्षिक, बौद्धिक, साहित्यिक एवं सांस्कृतिक कार्यक्रमों के आयोजन करना।
3. बालक-बालिकाओं के विकास हेतु आसीद-प्रमोद के स्थापन पुस्ताना एवं उनका प्रवर्धन करना।
4. किसी क्षेत्र के निवासियों के अनुरोध पर या संस्था द्वारा आवश्यकता अनुभव करने पर शिक्षण संस्थाओं का प्रवर्धन करना एवं उन्हें संचालित करना।
5. अनौपचारिक एवं मौखिक शिक्षा प्रदान करना, साक्षरता का प्रसार करना एवं ऐसे केंद्रों का प्रवर्धन एवं संचालन करना।
6. महिला शिक्षा एवं बालिकाओं की शिक्षा का प्रचार एवं प्रसार करना तथा महिलाओं को स्वावलम्बी बनाने हेतु घरेलू एवं व्यवसायिक शिल्प एवं औद्योगिक कार्यों का प्रशिक्षण प्रदान करना।
7. शैक्षिक, सहशैक्षिक, बौद्धिक, साहित्यिक एवं सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन करना।
8. संगीत, नृत्य, चित्रकारी, मूर्तिकारी इत्यादि ललित कलाओं के शिक्षण की व्यवस्था करना।
9. शिक्षा एवं ज्ञान के प्रसार की दृष्टि से पुस्तकालयों एवं वाचनालयों एवं अन्य संस्थाओं की स्थापना करना एवं उनका संचालन करना।
10. इसके अतिरिक्त उपरोक्त उद्देश्यों की पूर्ति हेतु आवश्यकतानुसार कार्य करना।

उपरोक्त उद्देश्यों की पूर्ति में कोई लाभ निहित नहीं है।

  
अध्यक्ष

  
अशोक यादव  
मंत्री

  
मामता यादव  
कोषाध्यक्ष

  
अध्यक्ष

स्था

ज्ञा।

है

होगा।

नेना

के

का

का

म

प्रत्यक्ष

प्रत्यक्षता

नहीं

प्रकार

प्रकार।

एवं

दान

का

शिक्षण

चानालयो

ग करना।

नुसार

umda yada  
साध्यक्ष

  
अध्यक्ष

4. सदस्यता : निम्न योग्यता रखने वाले व्यक्ति संस्था के सदस्य बन सकेंगे।

1. संस्था के कार्य क्षेत्र में निवास करते हों।
2. बालिग हों।
3. पागल, दिवालिये न हों।
4. संस्था के उद्देश्यों में रुचि व आस्था रखते हों।
5. संस्था के हित को सर्वोपरि समझते हों।

5. सदस्यों का वर्गीकरण : संस्था के सदस्य निम्न प्रकार वर्गीकृत होंगे :-

- |             |           |
|-------------|-----------|
| 1-संरक्षक   | 2-विशिष्ट |
| 3-सम्माननीय | 4-साधारण  |
- (जो लागू न हो, उसे काट दीजिये)

6. सदस्यों द्वारा प्रदत्त शुल्क व चन्दा

: उपनियम संख्या 4 में अंकित सदस्यों द्वारा निम्न प्रकार शुल्क व चन्दा देय होगा :-

- |             |                  |               |
|-------------|------------------|---------------|
| 1-संरक्षक   | राशि..... 1100/- | वार्षिक/आजन्म |
| 2-विशिष्ट   | राशि..... 1100/- | वार्षिक/आजन्म |
| 3-सम्माननीय | राशि..... 1100/- | वार्षिक       |
| 4-साधारण    | राशि..... 101/-  | वार्षिक       |

उक्त राशि एक मुश्त अथवा रु..... की मासिक दर से जमा कराई जा सकेगी।

: संस्था के सदस्यों का निष्कासन निम्न प्रकार किया जा सकेगा :-

- 1-मृत्यु होने पर
- 2-त्याग पत्र देने पर
- 3-संस्था के उद्देश्यों के विपरीत कार्य करने पर
- 4-प्रबन्धकारिणी द्वारा दोषी पाये जाने पर

8. साधारण सभा


: संस्था के उपनियम संख्या 5 में वर्णित समस्त प्रकार के सदस्य मिलकर साधारण सभा का निर्माण करेंगे।

9. साधारण-सभा के अधिकार और कर्तव्य

: साधारण सभा के निम्न अधिकार और कर्तव्य होंगे।

- 1- प्रबन्धकारिणी का चुनाव करना।
- 2- वार्षिक बजट पारित करना।
- 3- प्रबन्धकारिणी द्वारा किये गये कार्यों की समीक्षा करना व पुष्टि करना।
- 4- संस्था के कुल सदस्यों के 2/3 बहुमत से विधान में संशोधन, परिवर्तन अथवा परिवर्द्धन करना।

(जो रजिस्ट्रार के कार्यालय में फाइल कराया जाकर प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त करने पर लागू होगा।)

  
मन्त्री

Manita Yadav  
कोषाध्यक्ष

10. साधारण सभा की बैठकें :
- 1- साधारण सभा की वर्ष में एक बैठक अनिवार्य होगी लेकिन आवश्यकता पड़ने पर विशेष सभा अध्यक्ष/मंत्री द्वारा कभी भी बुलाई जा सकेगी।
  - 2- साधारण सभा की बैठक का कोरम कुल सदस्यों का 1/3 होगा।
  - 3- बैठक की सूचना 7 दिन पूर्व व अत्यावश्यक बैठक की सूचना 3 दिन पूर्व दी जायेगी।
  - 4- कोरम के अभाव में बैठक स्थगित की जा सकेगी जो पुनः 7 दिन पश्चात् निर्धारित स्थान व समय पर आहूत की जा सकेगी। ऐसी स्थगित बैठक में कोरम की कोई आवश्यकता नहीं होगी लेकिन विचारणीय विषय वही होंगे जो पूर्व एजेन्डा में थे।
  - 5- संस्था के 1/3 अथवा 15 सदस्य इनमें से जो भी कम हो, के लिखित आवेदन करने पर मंत्री/अध्यक्ष द्वारा 1 माह के अन्दर-अन्दर बैठक आहूत करना अनिवार्य होगा। निर्धारित अवधि में अध्यक्ष/मंत्री द्वारा बैठक न बुलाये जाने पर उक्त 15 सदस्यों में से कोई भी 3 सदस्य नोटिस जारी कर सकेंगे तथा इस प्रकार की बैठक में होने वाले समस्त निर्णय वैधानिक व सर्व मान्य होंगे।

11. कार्यकारिणी का गठन :
- संस्था के कार्य को सुचारु रूप से चलाने के लिए एक प्रबन्धकारिणी का गठन किया जायेगा, जिसके पदाधिकारी व सदस्य निम्न होंगे :-

- |               |                  |
|---------------|------------------|
| 1. अध्यक्ष-एक | 2. उपाध्यक्ष-एक  |
| 3. मन्त्री-एक | 4. कोषाध्यक्ष-एक |
| 5. सदस्य-सात  |                  |

(उक्त पदों के अतिरिक्त अन्य पद या पदनाम परिवर्तन किये जावें, तो यहां अंकित करें। कम रखना चाहें तो कम रख लें।)


इस प्रकार प्रबन्धकारिणी में ..... 5 ..... पदाधिकारी व


..... 11 ..... सदस्य कुल ..... 16 ..... सदस्य होंगे।


12. कार्यकारिणी का निर्वाचन :
- 1- संस्था को प्रबन्धकारिणी का चुनाव 2 वर्ष की अवधि के लिए साधारण सभा द्वारा किया जावेगा।
  - 2- चुनाव प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष प्रणाली द्वारा किया जावेगा।
  - 3- चुनाव अधिकारी की नियुक्ति प्रबन्धकारिणी द्वारा की जावेगी।

13. कार्यकारिणी के अधिकार और कर्तव्य :
- संस्था की कार्यकारिणी के निम्नलिखित अधिकार व कर्तव्य होंगे :-

- 1- सदस्य बनाना/निष्कासित करना।
- 2- वार्षिक बजट तैयार करना।
- 3- संस्था की सम्पत्ति की सुरक्षा करना।
- 4- वैतनिक कर्मचारियों की नियुक्ति करना तथा उनके वेतन भत्तों का निर्धारण करना, उन्हें सेवा मुक्त करना।
- 5- साधारण सभा द्वारा पारित निर्णयों को क्रियान्वित करना।
- 6- कार्य व्यवस्था हेतु उप समितियां बनाना।
- 7- अन्य कार्य जो संस्था के हितार्थ हों, करना।

  
Manita Jaiswal  
अध्यक्ष

  
Manita Jaiswal  
अध्यक्ष

  
Manita Jaiswal  
अध्यक्ष

अध्यक्ष

14. कार्यकारिणी की बैठकें

1. कार्यकारिणी की वर्ष में कम से कम 5 बैठकें अनिवार्य होंगी लेकिन आवश्यकता होने पर बैठक अध्यक्ष/मंत्री द्वारा कभी भी बुलाई जा सकेगी।
2. बैठक का कोरम प्रबन्धकारिणी की कुल संख्या के आधे से अधिक होगा।
3. बैठक की सूचना प्रायः 7 दिन पूर्व दी जावेगी तथा अत्यावश्यक बैठक की सूचना परिचालन से कम समय में भी दी जा सकती है।
4. कोरम के अभाव में बैठक स्थगित की जा सकेगी जो पुनः दूसरे दिन निर्धारित स्थान व समय पर होगी। ऐसी स्थगित बैठक में कोरम की आवश्यकता नहीं होगी। लेकिन विचारणीय विषय वही होंगे, जो पूर्व एजेण्डा में थे। ऐसी स्थगित बैठक में उपस्थित सदस्यों के अतिरिक्त प्रबन्धकारिणी के कम से कम दो पदाधिकारियों की उपस्थिति अनिवार्य होगी। इस सभा की कार्यवाही की पुष्टि आगामी आम सभा में कराना आवश्यक होगा।

15. प्रबन्धकारिणी के पदाधिकारियों के अधिकार व कर्तव्य

संस्था की प्रबन्धकारिणी के अधिकार व कर्तव्य निम्न प्रकार होंगे :-

1- अध्यक्ष

- 1-बैठकों को आहूत करना।
- 2-मत बराबर आने पर निर्णायक मत देना।
- 3-बैठकें आहूत करना।
- 4-संस्था का प्रतिनिधित्व करना।
- 5-संविदा तथा अन्य दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करना।

2- उपाध्यक्ष :

- 1-अध्यक्ष की अनुपस्थिति में अध्यक्ष के समस्त अधिकारों का प्रयोग करना।
- 2-प्रबन्धकारिणी द्वारा प्रदत्त अन्य अधिकारों का उपयोग करना।


3- मन्त्री :

- 1-बैठकें आहूत करना।
- 2-कार्यवाही लिखना तथा रिकार्ड रखना।
- 3-आय-व्यय पर नियन्त्रण करना।
- 4-वैतनिक कर्मचारियों पर नियन्त्रण करना तथा उनके वेतन या यात्रा बिल आदि पास करना।
- 5-संस्था की प्रतिनिधित्व करना व कानूनी दस्तावेजों पर संस्था की ओर से हस्ताक्षर करना।
- 6-पत्र व्यवहार करना।
- 7-सम्पत्ति की सुरक्षा हेतु वैधानिक अन्य कार्य जो आवश्यक हों।


4- उपमन्त्री :

- 1-मन्त्री की अनुपस्थिति में मन्त्री पद के समस्त कार्य संचालन करना।
- 2-अन्य कार्य जो प्रबन्धकारिणी/मन्त्री द्वारा सौंपे जावें।



  
अध्यक्ष

Mamta Yadav  
अध्यक्ष

  
मन्त्री

Mamta yadav  
कोषाध्यक्ष

5- कोषाध्यक्ष :

1. संस्था का संचित राशि	500	1. वार्षिक लेखा-जोखा तैयार करना।
2. संस्था का वार्षिक लेखा	भारती शिक्षा विकास	2. दैनिक लेखों पर नियन्त्रण रखना।
3. किस बैंक में	भूख	3. चन्दा/शुल्क/अनुदान आदि प्राप्त कर रसीद देना।
4. दर	16	4. अन्य प्रदत्त कार्य सम्पन्न करना।
5. दिनांक	8-9-08	संस्था का कोष निम्न प्रकार से संचित होगा :
6. हस्ताक्षर		1- चन्दा

- 2- शुल्क
- 3- अनुदान
- 4- सहायता
- 5- राजकीय अनुदान

- 1- उक्त प्रकार से संचित राशि किसी राष्ट्रीयकृत सहकारी बैंक में सुरक्षित रखी जायेगी।
- 2- अध्यक्ष/मन्त्री/कोषाध्यक्ष में से किन्हीं दो पदाधिकारियों के संयुक्त हस्ताक्षरों से बैंक से लेन-देन संभव होगा।

राज. संस्था रजिस्ट्रेशन अधिनियम की धारा 19 के तहत

यह प्रमाणित किया जाता है कि यह संस्था विषय में दाखिल कराये गये दस्तावेज जो पृष्ठ सं. .... विशेषाधिकार 16 तक है, की सत्यप्रति है।

1. नकल देने की दिनांक 22-9-08
2. नकल तैयार करने वाले के हस्ताक्षर

बानो  
रजिस्ट्रार संस्थाएं  
जयपुर

संस्था के हित में तथा कार्य व समय की आवश्यकतानुसार निम्न पदाधिकारी संस्था की राशि एक मुश्त स्वीकृत कर सकेंगे।

- 1- अध्यक्ष 51000/- रु.
- 2- मन्त्री 21000/- रु.
- 3- कोषाध्यक्ष 5100/- रु.

उपरोक्त राशि का अनुमोदन प्रबन्धकारिणी से कराया जाना आवश्यक होगा। अंकेक्षक की नियुक्ति प्रबन्धकारिणी द्वारा की जायेगी।

18. संस्था का अंकेक्षण :

संस्था के समस्त लेखों जोखों का वार्षिक अंकेक्षण करया जावेगा।

19. संस्था का विधान में परिवर्तन :

संस्था के विधान में आवश्यकतानुसार साधारण सभा के कुल सदस्यों के 2/3 बहुमत से परिवर्तन, परिवर्द्धन अथवा संशोधन किया जा सकेगा जो राजस्थान रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1958 की धारा 12 के अनुरूप होगा।

20. संस्था का विघटन

यदि संस्था का विघटन आवश्यक हुआ, तो संस्था की समस्त चल व अचल सम्पत्ति समान उद्देश्य वाली संस्था को हस्तान्तरित कर दी जावेगी लेकिन उक्त समस्त कार्यवाही राजस्थान संस्था रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1958 की धारा 13 व 14 के अनुरूप होगी।

21. संस्था के लेखे जोखे का निरीक्षण

रजिस्ट्रार संस्थाएं जयपुर को संस्था के रिकार्ड का निरीक्षण/जांच करने का पूर्ण अधिकार होगा व उनके द्वारा दिये गये सुझावों की पूर्ति की जावेगी।

प्रमाणित किया जाता है कि उक्त विधान (नियमावली) भारतीय शिक्षा विकास समिति/सोसायटी/संस्था की सही व सच्ची प्रति है।

अध्यक्ष

उपरोक्त कोष  
मन्त्री

Mamta Yadav  
कोषाध्यक्ष

निर्वाचित प्रबंधकारिणी के अनुमोदन के समय प्रस्तुत किये जाने वाले शपथ-पत्र का नमूना

शपथ-पत्र

हम निम्न हस्ताक्षरकर्ता एवं अधिकृत पदाधिकारी प्रस्तावित संस्था **भारती शिक्षा विकास समिति, धानोता, तह. शाहपुरा, जिला जयपुर** के शपथ प्रोपणा करते हैं कि :-


1. हमारी संस्था का पंजीयन दिनांक ..... है।
2. संस्था में वर्तमान में कुल सदस्य..... **16** ..... है।
3. संस्था की आमसभा दिनांक **15.07.2008** को सम्पन्न हुई जिसमें पंजीकृत विधान के अनुसार कार्यकारिणी का निर्वाचन दिनांक **21.07.2008** को हुआ। निर्वाचन कार्यकारिणी दो वर्ष के लिए चुनी गई है, जिसकी सूचना प्रमाणीकरण हेतु शपथ-पत्र के साथ संलग्न है।
4. संस्था की उपर्युक्त कार्यकारिणी के निर्वाचन एवं संस्थान के सम्बन्ध में आम सभा सदस्य कार्यकारिणी के तथ्य किसी प्रकार का विवाद नहीं है।
5. प्रबंधकारिणी विधान की प्रमाणित प्रतिलिपि आगामी कार्यक्रमों आदि में प्रस्तुत करने हेतु चाहिए।
6. संस्था की कार्यकारिणी के निर्वाचन हेतु आमंत्रित आम सभा दिनांक **15.07.2008** की सूचना का नोटिस दिनांक **16.07.08** को समस्त सदस्यों को सूचनार्थ जारी कर दिया गया था।
7. भविष्य में उक्त बिन्दु संख्या 1 से 6 तक तथ्यों के विपरीत किसी प्रकार का विवाद प्रकाश में आने पर दी गई प्रमाणित प्रतियों को निरस्त करने का रजिस्ट्रार संस्थायें, जयपुर को पूर्ण अधिकार होगा।
8. संस्था के विधान में कोई संशोधन, परिवर्तन एवं परिवर्धन नहीं किया है।


।येगी।


क्षरों से

स्था की

क्षक की

  
अध्यक्ष

  
मंत्री

  
कोषाध्यक्ष


सत्यापन


हम उपर्युक्त शपथ ग्रहिता सत्यापित करते हैं कि बिन्दु संख्या 1 से 8 तक के तथ्य हमारी जानकारी में सही हैं, कोई भी तथ्य छिपाया नहीं गया है। उपर्युक्त तथ्यों के विपरीत कोई जानकारी प्रकाश में आने पर रजिस्ट्रार संस्थायें, जयपुर को पंजीयन रद्द करने का अधिकार होगा।

बहुमत से  
धिनियम,


ल्लि समान  
राज

जांच करने

  
अध्यक्ष

  
मंत्री

  
कोषाध्यक्ष

  
कोषाध्यक्ष

40 वर्षों से  
मुद्रण के क्षेत्र में  
नये आयाम  
स्थापित करती  
राजस्थान  
की  
शीर्ष

# भारती शिक्षा विकास समिति

ग्राम-पोस्ट-धानोता, तह. शाहपुरा, जिला-जयपुर (राज.)

क्रमांक:

दिनांक: 18/11/08

दिनांक 17.11.2008 को लिये गये प्रस्ताव नं. 7 के अनुसार समिति का कार्यभार समिति के नियमानुसार एक कार्यकारिणी को सौंपा गया है जिसके वर्तमान पदाधिकारी निम्नलिखित हैं :-

क्र.सं.	पदाधिकारी का नाम	व्यवसाय	पूर्ण पता	पद
1.	मुरलीधर यादव पुत्र श्री बालूराम	निजी सेवा	ख-78, भवानीनगर, मुरलीपुरा स्कूल के सामने, मुरलीपुरा, जयपुर	अध्यक्ष
2.	गोपाल लाल यादव पुत्र श्री	राज्य सेवा	ग-146, भवानीनगर, मुरलीपुरा, जयपुर	उपाध्यक्ष
3.	नरेश यादव पुत्र श्री रोहिताश्व	अध्यापन	ग्राम खोहरी, तह0 बहरोड, अलवर	सचिव
4.	अशोक यादव पुत्र श्री मुरलीधर	अध्यापन	ख-78, भवानीनगर, मुरलीपुरा स्कूल के सामने, मुरलीपुरा, जयपुर	कोषाध्यक्ष
5.	सूगलचन्द पुत्र श्री हनुमान सहाय	कृषि	मु0पो0 रावपुरा, तह0 शाहपुरा, जयपुर	सदस्य
6.	जगदीश सिंह पुत्र श्री चन्द्रासिंह	कृषि	मु0पो0 रावपुरा, तह0 शाहपुरा, जयपुर	सदस्य
7.	मन्जू पुत्र श्री बनवारीलाल	अध्यापन	ग्राम लोहवाडा, तह0 चौमू, जयपुर	सदस्य
8.	ममता यादव पत्नि श्री मखनलाल	अध्यापन	मु0पो0 रावपुरा, तह0 शाहपुरा, जयपुर	सदस्य
9.	गोपीराम पुत्र श्री बालूराम	समाज सेवी	मु0पो0 रावपुरा, तह0 शाहपुरा, जयपुर	सदस्य
10.	रामदेव रैगर पुत्र श्री आशाराम रैगर	निजी सेवा	मु0पो0 धानौता, तह0 शाहपुरा, जयपुर	सदस्य
11.	सरोज पत्नि श्री रामस्वरूप	अध्यापन	ग्राम परमानपुरा, तह0 शाहपुरा, जयपुर	सदस्य
12.	कज्जूलाल पुत्र श्री मूंगीलाल	सेवानिवृत्त	मु0पो0 धानौता, तह0 शाहपुरा, जयपुर	अभिभावक प्रतिनिधि
13.	गोपीराम कुमावत पुत्र श्री चुन्नीलाल	राज्य सेवा	सेवा की ढाणी, मु0पो0 रावपुरा, तह0 शाहपुरा, जयपुर	प्राध्यापक प्रतिनिधि
14.	महेन्द्र पुत्र श्री गोपाललाल	अध्यापन	ग-146, भवानीनगर, मुरलीपुरा, जयपुर	सदस्य
15.	सुभान खां पुत्र श्री दीनू खां	निजी सेवा	मु0पो0 धानौता, तह0 शाहपुरा, जयपुर	सदस्य
16.	सुमित्रा देवी पत्नि श्री सतीश	अध्यापन	ग-146, भवानीनगर, मुरलीपुरा, जयपुर	सदस्य
17.	सुनीता देवी पत्नि श्री नरेश	अध्यापन	ग्राम खोहरी, तह0 बहरोड, अलवर	सदस्य
18.	कौशल्या देवी पत्नि श्री रोहिताश्व	कृषि	ग्राम खोहरी, तह0 बहरोड, अलवर	सदस्य
19.	ललिता यादव पत्नि श्री जयसिंह	राज्य सेवा	ख-29, जय चामुण्डा कॉलोनी, बन्धुनगर, मुरलीपुरा, सीकर रोड, जयपुर	सदस्य
20.	छाजूलाल यादव पुत्र स्व. श्री सेखराम	कृषि	ग्राम लाडीपुरा, पो0 जयचन्दपुरा, वाया गठवाडी, तह0 जमवाराभगड, जयपुर	सदस्य
21.	सतीश पुत्र श्री गोपाल लाल	अध्यापन	ग-146, भवानीनगर, मुरलीपुरा, जयपुर	सदस्य
22.	बाबूलाल पुत्र श्री मुरलीधर	निजी सेवा	ख-78, भवानीनगर, मुरलीपुरा स्कूल के सामने, मुरलीपुरा, जयपुर	सदस्य

मुरलीधर यादव  
अध्यक्ष

नरेश यादव  
सचिव

अशोक यादव  
कोषाध्यक्ष

अध्यक्ष

भारती शिक्षा विकास समिति  
धानोता जयपुर (राज.)

भारती शिक्षा विकास समिति  
धानोता, जयपुर (राज.)

भारती शिक्षा विकास समिति  
धानोता, जयपुर (राज.)